46वीं वार्षिक रिपोर्ट

2010–2011

अनुक्रमणिका

निदेशकों का प्रतिवेदन	03
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	08
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	09
लेखा नीतियाँ	14
संतुलन पत्र	16
लाभ और हानि लेखा	17
अनुसूचियाँ	19
दस वर्षीय सिंहावलोकन	40

निदेशक मण्डल	:	
श्री ए. के. जैन	:	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (दिनांक 31.05.2011 तक)
श्री अजय कुमार	:	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (दिनांक 01.06.2011 से)
श्री आर.पी. गोयल	:	निदेशक (दिनांक 07.06.2011 से दिनांक 26.04.2011 तक)
श्री देबाशीष जाना	:	निदेशक (दिनांक 26.04.2011 से)
कम्पनी सचिव प्रभारी	:	
श्री आर. के. श्रीवास्तव		
प्रमुख अधिकारीगण	:	
श्री आर.के. श्रीवास्तव		मुख्य प्रबन्धक दिनांक 01.04.2011 से
लेखा परीक्षक	:	**बैंकर्स**
मेसर्स ई.एच. अंसारी एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार सी-16, गुरू तेग बहादुर नगर, करेली, इलाहाबाद (उ0प्र0)		भारतीय स्टेट बैंक नैनी इलाहाबाद (उ.प्र.) - 211010

पंजीकृत कार्यालय

नैनी इलाहाबाद - 211010

उत्तर प्रदेश

दूरभाष - 0532-2687387

फैक्स : 0532-2687595

ई-मेल : tslnaini @rediffmail.com

वेब साइट : www.tslindia.org

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली	**मुंबई**	**कोलकाता**
पांचवॉ तल	5, रिजेन्ट चैम्बर्स	करनानी मैन्शन
जीवन बिहार भवन	तेरहवॉ तल	दूसरा तल रूम नं.-222/223
संसद मार्ग	नारिमन प्वाइन्ट	21, पार्क स्ट्रीट
नई दिल्ली - 110001	मुम्बई - 400021	कोलकाता - 700016

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
समस्त अंशधारीगण,
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

प्रिय अंशधारी गण,

निदेशकों को 31 मार्च 2011 को समाप्त हुये वर्ष के परीक्षित लेखा सहित 46वें वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय समीक्षा :

गत वर्ष (2009-2010) के 3.34 करोड़ रूपये की तुलना में इस वर्ष विक्रय 2.20 करोड़ रूपये रहा है। गत वर्ष (2009-2010) के 56.22 करोड़ रूपये की तुलना में इस वर्ष 53.19 करोड़ रूपये की शुद्ध हानि हुयी।

विगत वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के परिणामों को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

(रू0 करोड़ में)

	2010-2011	2009-2010
उत्पादन	1.92	3.13
सकल विक्रय	2.20	3.34
सकल लाभ/(हानि)	(5.00)	(8.09)
मूल्य ह्रास	0.32	0.32
प्रावधान	1.43	2.22
ब्याज	46.43	45.59
एफ.बी.टी. का प्रावधान	-	0.00
शुद्ध लाभ/(हानि)	53.19	56.22

पिछले पाँच वर्षों के विक्रय तथा उत्पादन का दर्शाया गया चित्ररूप :

₹ लाखो में

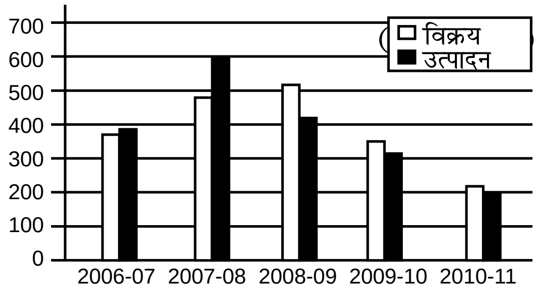

अंश पूँजी :

31.03.2011 को कम्पनी की अंश पूँजी 21.27 करोड़ रूपये रही।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन परिषद (बी.आई.एफ.आर) पैकेज :

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल (बी.आई.एफ.आर) ने दिनांक 6 जून 2003 को कम्पनी के समापन के लिए आदेँ पारित किया है उसके बाद कम्पनी के श्रमिक संघ ने बी0आई0एफ0आर0 के फैसले के खिलाफ अपील ए0ए0आई0एफ0आर0 के समक्ष याचिका दायर किया है। अपील को प्राधिकारी (ए0ए0आई0एफ0) द्वारा अस्वीक(त कर दिया गया, कर्मचारी संघ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने मुकदमें की सुनवाई की और कम्पनी के पुनरूद्धार हेतु उचित निर्देश जारी किया है। कम्पनी के पुनरूद्धार का मामला भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

पर्यावरण :

वर्ष 2006-07 के दौरान कम्पनी परिसर के अन्दर पर्यावरण को बनाये रखने तथा प्लांट को साफ व वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने एवं हरित क्रान्ति हेतु लगभग 1 लाख जेट्रोफा के व(क्ष लगाये गये थे, उनका रख-रखाव किया जा रहा है।

कार्यादेश प्राप्ति की स्थिति :

चालू परिस्थितियों के कारण (2010-2011) वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने मात्र 1.19 करोड़ रूपये के कार्यादेश हासिल किया। 31 मार्च 2011 को कम्पनी के पास कुल रू0 2.98 करोड़ रूपये का कार्यादेश था।

भावी दृष्टिकोण :

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कम्पनी ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया है, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और दूसरे देनदारों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, अपने सीमित साधनों से कम्पनी ने धन कमाना शुरू किया है और चालू देयताओं को अदा किया है। भारत सरकार के साथ कम्पनी के पुनरूद्धार पैकेज विचारधीन है।

लेखा परीक्षकों की आख्या

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लेखा विवरण पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की आख्या में किये गये निरूपण पर निदेशकों के उत्तर :

क्र. सं.	लेखा संपरीक्षकों का निरूपण	प्रबन्धन का उत्तर
1.	पैरा 2 (i)	कोई टिप्पणी नहीं
2.	पैरा 2 (ii)	इराक में चल रहे कार्य सम्बन्धी व विवादित दावे के अलावा कम्पनी के पास विदेशी विनिमय से सम्बन्धित कोई लेन-देन नहीं है इसलिए बिदेशी विनिमय दर जो किताबों में लेखा मानक-11 के अनुसार ली गई है, परिवर्तित नहीं है। कम्पनी के पास अपनी केन्द्रीकृत निर्माण प्रक्रिया है एवं अपने उत्पाद को सिगमेन्ट वाइज विभक्त नहीं किया है अत: लेखा मानक 17 के अनुसार सिगमेन्ट वाइज उत्पाद आख्या नहीं दी गयी है। केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन कम्पनी होने के नाते सम्बन्धित पार्टी के साथ केन्द्र से नियन्त्रित अन्य उपक्रमों के सम्बन्धों की घोषणा करना वांछित नहीं है इसलिए मानक-18 के अनुसार घोषणा नहीं की गई है। कम्पनी का लेखा चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया गया है वसूली आधार पर नहीं किया गया है इसलिए मानक 28 के अनुसार व्यवहार नहीं किया गया है।
3.	पैरा 2 (iii)	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
4.	पैरा 2 (iv)	नोट किया।
5.	पैरा 2 (v)	नोट किया।
6.	पैरा 2 (vi)	जमा प्रविष्टियों को लिंक करते हुए ऋण एवं अग्रिम के मिलान के लिये प्रयास किया जा रहा है।
7.	पैरा 2 (vii)	नोट किया
8.	पैरा 2 (viii) (ए)	नोट किया
9.	पैरा 2 (viii)(बी)	एम0एस0एम0ई0डी0 अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या न प्रस्तुत करने के कारण कम्पनी ने लघु उद्योग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दर्जे के उपक्रमों की घोषणा नहीं की है। इसीलिए ब्याज दायिता का प्रावधान किताबों में नहीं किया गया है।

10.	पैरा 2 (viii) (सी)	भारतीय स्टेट बैंक में कम्पनी का नगदी जमा लेखा पहले से ही वर्ष 2003 में गैर निष्पादन सम्पत्ति के रूप में हो गया है एवं फरवरी 2004 में बैंक द्वारा प्रोटेस्टेड बिल में हस्तान्तरित कर दिया गया है। बैंक में एक कालिक समाधान का प्रस्ताव अभी भी खुला है जिसके मूल बकायों के आधार पर समाधान की प्रत्याशा है। बैंक द्वारा सुझाये गये ब्याज की गणना "अनुमानित जोड़ा गया ब्याज" आकस्मिक दायिता के अर्न्तगत दर्शाया गया है।
11.	पैरा 2 (viiii) (डी)	आपूर्ति में विलम्ब के लिए संविदाधीन तरलीकृत नुकसान की मद में ग्राहकों द्वारा कुल रू0 557.35 लाख रोका गया, मामलों के आधार पर सूक्ष्म परिक्षण किये जाने पर कम्पनी द्वारा रू0 314.66 लाख का प्रावधान किया गया है।
12	पैरा 2 (viii) (ई)	आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लेखा किताबो में समुचित संवीक्षा एवं समायोजन के लिए नोट कर लिया गया है।
13.	पैरा 2 (viii) (एफ)	उप ठेकेदारों को किये गये भुगतान के मिलान/लिंक करने के लिये प्रयास किया जायेगा एवं आगामी वित्तीय वर्ष में किताबों में समुचित समायोजन किया जायेगा।
14.	पैरा 2 (viii) (जी)	भारी उघोग विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्यकरों/अधिकारियों का 1992 का वेतन/मजदूरी का पुनरीक्षण क्रमशः दिसम्बर 1996 एवं मई 1997 से लागू कर दिया गया है बशर्ते कि सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं ली जाये। कम्पनी को अपने निजी स्रोतो से वित्तीय प्रावधान करना होगा, कम्पनी ने किये गये भुगतान की सीमा तक का खर्च लेखा में दिखाया गया है तथा शेष की घोषणा लेखा टिप्पणियों में की गयी है।

(रू0 लाख में)

15. पैरा 3

वर्ष 2010-2011 में कुल हानि		5318.19
लेखा संपरीक्षको द्वारा किया गया प्रावधान है :-		
1	ग्राहको द्वारा एल0 डी0	557.35
2	ग्राहको से पुराना वापस धन	93.09
3	31.03.2011 तक बैंक ब्याज दायिता	230.09
4	वेतन/मजदूरी पुनरीक्षण का एरियर	455.01
5	वेतन पुनरीक्षण से उत्पन्न अन्तिम हित लाभ	174.48
6	उप ठेंकेदारों को भुगतान	115.57
	योग	1625.59
	गणना की गयी हॉनि	6943.78

लेखा संपरीक्षकों ने निरूपण किया है तथा लेखा किताबों में प्रावधान न किये जाने से उपरोक्त राशि रू० 1625.59 को जोड़ दिया है एवं वर्ष 2010-2011 के लाभ एवं हानि खाते में रू0 5318.19 लाख के स्थान पर रू0 6943.78 लाख की कुल हानि दर्शायी गयी है। उपरोक्त बिन्दुवार स्पष्टीकरण पहले ही लेखा संपरीक्षको के निरूपण में उल्लिखित है।

लेखा संपरीक्षको ने (उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात) विविध देनदारी रू0 467.16 लाख ऋण एवं अग्रिम रू0 224.69 लाख तथा चालू दायिता रू0 7067.12 लाख का पुनर्मूल्यांकन किया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत व)र् 2010-11 के लिये लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा न करने के निर्णय के आधार पर कम्पनी के लेखा पर कोई आख्या नहीं दी।

प्रदूषण नियंत्रण :

जल एवं वायु के प्रदूषण को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रखे जाने के लिए निरन्तर निगरानी रखा गया।

मानव संसाधन विकास :

वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध बड़े सौहार्दपूर्ण रहे। मार्च 2011 के अन्त में कम्पनी की जन शक्ति 133 थी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जातियॉ/शारीरिक अपंग व्यक्ति :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियॉ/शारीरिक अपंग व्यक्ति के आरक्षण एवं उन्नति के संदर्भ में बनायी गयी सरकारी नीतियों एवं मार्गदर्शन का कम्पनी हमेशा से अनुपालन करती आ रही है।

सतर्कता गतिविधियॉ :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता क्रियाकलाप से सम्बन्धित जारी किये गये सभी निर्देशों को प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर जांच एवं समयाविधि के अन्तराल पर आकस्मिक जांच पड़ताल की जाती है।

राजभाषा का क्रियान्वयन :

कम्पनी के विभिन्न गतिविधियों में राजभाषा के उन्नति के लिए सरकार से प्राप्त सारे निर्देशों एवं सुझावों का अनुपालन किया जाता है। सामयिक समीक्षा बैठकों के अलावा कम्पनी प्रत्येक तिमाही में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन करती है।

सनदी लेखा परीक्षक :

मेसर्स ई0एच0 अंसारी एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार, इलाहाबाद को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत व)र् 2010-11 के लेखा परीक्षा हेतु कम्पनी के सनदी लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

कर्मचारियों का विवरण :

समीक्षाधीन वर्ष में, ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है जिसका विवरण कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 सहित पठित प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित हो।

निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2AA) के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :

1. वार्षिक लेखा तैयार करने में सामग्री प्रस्थान सम्बन्धी समुचित स्पष्टीकरणों सहित लेखा मानक का अनुपालन किया गया।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उनका निरंतर अमल में लाकर न्यायसंगत एवं यथोचित विवरण बनाए है जो कि कम्पनी के वस्तुस्थिति का सत्य एवं स्पष्ट विवरण देता है तथा वर्ष के अन्त में लाभ एवं हानि का आकलन किया गया है।
3. यह कि निदेशकों ने उचित एवं निर्धारित अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत कम्पनी की सम्पत्ति की रक्षा के लिये उचित उपाय अपनाये हैं ताकि चोरी एवं अन्य अनियमिततायें न होने पायें।
4. निदेशकों ने वार्षिक लेखा कार्यरत संस्थान के आधार पर तैयार किया है।

निदेशक मण्डल :

1. श्री आर०पी० गोयल निदेशक (अंशकालिक) निदेशक मण्डल से 25.04.2011 से मुक्त हो गए।
2. श्री देवाशीष जाना, निदेशक, को सार्वजनिक उपक्रम के भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 26.04.2011 को अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया।
3. श्री ए०के० जैन अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल 31.05.2011 को निदेशक मण्डल से समाप्त हो गया।
4. श्री अजय कुमार स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के अध्यक्ष-एवं -प्रबन्ध निदेशक को दिनांक 01.06.2011 से कम्पनी के अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया।

आभार :

निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेष रूप से भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर दी गयी सहायता तथा मार्ग दर्शन के लिए आभारी एवं कृतज्ञ हैं। निदेशकगण भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा के प्रमुख निदेशक तथा पदेन सदस्य, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा मंडल तथा उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनके द्वारा दिये गये मूल्यवान मार्ग दर्शन के लिये धन्यवाद देते हैं पुनः निदेशकगण सांविधिक लेखा परीक्षकों, बैंको, मूल्यवान ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उनके द्वारा दी गई सहायता तथा लगातार विश्वास के लिये प्रशंसा अभिलिखित करते हैं और अन्त में कम्पनी के सभी वर्गों के कर्मचारियों द्वारा किये गये समर्पण तथा सहयोग के लिए निदेशकगण उनके प्रति अपनी सराहनीय भावना अभिलिखित करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार

अध्यक्ष-एवं -प्रबन्ध निदेशक

दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा की टिप्पणियाॅं :

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुकूल त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक लेखा परीक्षक जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय प्रपत्रों के लिए अपनी राय हेतु उत्तरदायी है जो भारत के सनदी लेखाकार संस्था के प्रोफेशन बॉडी द्वारा प्रस्तावित लेखा और हस्तान्तरण पत्र स्तर के अनुकूल स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है। यह उनके लेखा प्रतिवेदन 16 सितम्बर 2011 में उनके द्वारा कथित रूप से दर्शाया गया है।

हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से यह निर्णीत किया है कि त्रिवेणी स्ट्राक्चरल्स लिमिटेड के समाप्त हुये वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2011 पर वैद्यानिक अंकेक्षक की आख्या की पुन: समीक्षा न की जाये। इसीलिये कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।

कृते और भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की तरफ से

(नैना ए. कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा परिषद-।।,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.09.2011

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

अंशधारीगण,
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड,
नैनी, इलाहाबाद

हमने मेसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुये वर्ष के संलग्नित सन्तुलन पत्र तथा उसी दिनांक को समाप्त हुये वर्ष के लाभ हानि लेखा जो इसके साथ संलग्न है को परीक्षण किया है। ये वित्तीय कथन कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय कथनों के परीक्षण के आधार पर एक राय व्यक्त करने की है।

हमने भारत में सामान्यत: मान्य परीक्षण मानकों के अनुरूप अपना परीक्षण कार्य पूरा किया है। उन मानकों के तहत हम यथार्थ व विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध रूप में परीक्षण करते हैं जिससे कि वित्तीय लेखा वस्तुनिष्ठ मिथ्याकथन से मुक्त हो। एक परीक्षण, प्रयोग में लाए गये लेखा सिद्धान्तों और प्रबन्धन द्वारा किये गये आवश्यक मूल्य निर्धारण का आंकलन है साथ ही साथ वित्तीय लेखा के प्रदर्शन का मूल्याकन करता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परीक्षण हमारी राय के लिए यथार्थ आधार प्रदान करता है।

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4–ए) के तहत, केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) के आदेश में जैसा चाहा गया है एवं वैसे जांचों के आधार पर जैसे हमने उचित समझा है तथा हमारे सम्पूर्ण जानकारी एवं विश्वास तथा हमें दिये गये सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम उस आदेश के पैराग्राफ 4 व 5 में वर्णित तथ्यों पर एक कथन संलग्नक "अ" के रूप में संलग्न करते हैं।

2. उपरोक्त अनुच्छेद 1 में उल्लिखित संलग्नक पर हमारे समालोचना के बाद, हम उल्लिखित करते हैं कि :

(i) बी0आई0एफ0आर0 के आदेश एवं प्रतिकूल वित्तीय एवं क्रियात्मक सूचकों के बावजूद, चालू उद्यम के आधार पर कम्पनी लेखों का संकलन किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कम्पनी एक चालू उद्यम के रूप में आगे चल सके, इसमें वास्तव में संदेह है।

(ii) कम्पनी द्वारा विदेशी विनिमय दरों में बदलाव में प्रभावों के लेखा से सम्बन्धित लेखा मानक ए0एस0–11, वृत्त खण्ड सूचना मानक ए0एस0–17, जनसाधारण जानकारी मानव ए0एस0–18 और सम्पत्तियों के नुकसान से सम्बन्धित मानक ए0एस0–28 में लिये गये प्रावधान का पालन नहीं किया गया है।

(iii) कम्पनी ने पूर्णकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति नहीं की है। अत: कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383–ए के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।

(iv) भारत ओवरसीज बैंक, चालू देयतायें, विविध देनदारों, ऋण एवं अग्रिम में दर्शाये गये शेष तथा बैंकों के चालू खातों में 2.33 लाख रूपये (18 बैंक खाते) मार्जिन राशि 0.30 लाख का निर्धारण उनकी पुष्टि किये जाने पर ही हो सकता है। अत: ऐसे परिणामी प्रभाव के सम्बन्ध में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

(v) कम्पनी के लेखा पुस्तकों में प्रगतिशील कार्य और तैयार माल के शेष का भौतिक शेष से अन्तर

सत्यापन के अभाव में अथवा मिलान न होने से आर्थिक विवरण में पड़ने वाले कोई परिणाम यदि है तो निश्चित करनें में असमर्थ है।

(vi) ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत सम्बन्धित देयताओं के शेष की परिविष्टियों का मिलान नही है। बेमेल और उपरोक्त आंकड़ों का अत्यधिक सीमा तक दर्शाना तथा मदों का कड़ियों में न होने का पता लगाना बाकी है।

(vii) कर्मचारी भविष्य निधिन्यास के घाटा के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आकेक्षणाधीन वर्ष हेतु ट्रस्ट के खातों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले भौतिक संघात, यदि कुछ है का पता करना बाकी है।

(viii) इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ए) जुलाई, 1997 में नापाथा साकरी साइट पर भीषण बाढ़ के कारण हुई हानि। कम्पनी के पास आपदा में हुये सम्पत्तियों के हानि का कोई पुष्टिकारक अभिलेख नहीं है।

(बी) एम0एस0एम0ई0डी0 अधिनियम के अन्तर्गत लघु उद्योग इकाइयॉ/सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों के विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज की की देयता यदि उठाता है (सन्दर्भित टिप्पणी संख्या-09)

(सी) 23009.00 लाख रूपये नगद देयता पर ब्याज (सन्दर्भित टिप्पणी संख्या-11)

(डी) विलम्बित आपूर्ति हेतु निविदा हानि चुकाने के लिए ग्राहक द्वारा रोके गये 557.35 लाख रूपये (सन्दर्भित टिप्पणी संख्या-3.2)

(ई) विभिन्न कार्यों के अधीन 93.09 लाख रूपये पुराने रोके गये धन को प्रबन्धन द्वारा बीजक भुगतानों को संदिग्ध समझा गया है।

(एफ) उप-ठेकेदारों के खातों में बने भुगतानों की पुरानी राशि रूपये 115.57 लाख की कड़ियॉ नहीं मिल रही है।

(जी) जनवरी/फरवरी, 1992 के वेतन पुनरीक्षण के कारण 455.01 लाख रूपये बकाया वेतन और भत्ते की देयता और आखिरी लाभ जैसे ग्रेच्युटी, एक्सग्रेसिया (वी0आर0एस0) रू0 174.48 लाख। (सन्दर्भित टिप्पणी संख्या-14.1 एवं 14.2)

(3) आगे हम यह सूचित करना चाहते हैं कि उपरोक्त पैरा 2 में हमारे अवलोकनों एवं संलग्नक-ए में उल्लिखित संलग्नक में दिये गये अवलोकनों के अधीन बिन्दु संख्या 2(i) से (vii), (viii)ए, (viii)बी, के सम्बन्ध में लिखे गये मदों के प्रभाव को बिना विचार किये हुये जिनका निर्धारण नहीं हो सकता, बिन्दु संख्या 2 (viii) (सी) से (जी) के विरूद्ध हमारे द्वारा किये गये अवलोकनों पर विचार किया गया होता तो इस वर्ष का घाटा रूपये 6943.78 लाख (दर्शाये गये रूपये 5318.19 लाख कर पूर्व के विरूद्ध) का होता, विभिन्न दायितायें रूपये 467.16 लाख (दर्शाये गये रूपये 1117.60 लाख के विरूद्ध) होता ऋण व अग्रिम 224.69 दिखाये गये रूपये 340.26 को होता तथा चालू दायितायें रूपये 7067.12 लाख (दर्शाये गये रूपये 6207.94 लाख के विरूद्ध) होता।

(4) हमारे पूर्ववत टिप्पणियों के अनुसार हम इसके आगे निम्न प्रकार से सूचित करते हैं:-

(ए) हमने सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को हासिल किया है, जो हमारी संपरीक्षा के उद्देश्य के लिये, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के लिए जरूरी थे।

(बी) हमारे विचार में नियमानुसार कम्पनी द्वारा लेखा के उचित खातों का रखाव अभी तक किया गया हैं, जो हमारे द्वारा वैसे खातों के परिणाम से परिलक्षित होता है।

(सी) हमारे विचार में, लाभ/हानि खाता एवं आय व्यय के हिसाब कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3) (सी) से सन्दर्भित लेखा मापदण्डों के अनुसार है।

(डी) इस रिपोर्ट के माध्यम से किये गये आय व्यय हिसाब एवं लाभ-हानि खातों के अनुकूल है।

(ई) निदेशकों की अयोग्यता के सम्बन्ध में, कम्पनी मामलों के विभाग ने अपने स्पष्टीकरण संख्या GRS 829(ई) दिनांक 21.10.2003 में सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1)(जी) के प्रावधान से मुक्त कर दिया है।

(एफ) हमें दिये गये स्पष्टीकरणें के आधार पर एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विचार में, उपरोक्त आय-व्यय हिसाब एवं लाभ-हानि खाता, अनुसूची संख्या 11 में लेखा का एक हिस्सा बनाते हुए "नोट्स" के समान एक साथ पठनीय है। यह कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार इच्छित ढंग से सूचना प्रदान करती है एवं साफ एवं सही विचार प्रदान करती है :-

(i) जैसा कि 31 मार्च 2010 को कारखाने के मामलों से सम्बन्धित तुलन-पत्र के विषय में,

(ii) जैसा कि उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में सम्पूर्ण हानियों के मसले में है।

(iii) नगद बहाव सूची के सम्बन्ध में उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के नगद बहाव के लिए।

(जी) अवलोकन एवं टिप्पणियों, जो कारखाना के क्रिया कलाप पर उलटा प्रभाव डाल सकती है।

कृते ई0एच0 अंसारी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

ई0एच0 अंसारी
साझीदार
50869

स्थान : इलाहाबाद
दिनांक : 16 सितम्बर 2011

मेसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लेखा पर हमारे दिनांक 16.09.2011 के प्रतिवेदन में संदर्भित संलग्नक "ए"।

(i) (अ) कम्पनी अधिनियम ब्यौरे सहित विवरण दर्शाने वाले एवं स्थायी सम्पत्तियों का अभिलेख रखती है।

(ब) वर्ष के दौरान कम्पनी की स्थाई परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(स) वर्ष के दौरान किसी स्थायी परिसम्पत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है।

(ii) (अ) प्रबन्धन द्वारा वर्ष के दौरान सामान जाँच की प्रक्रिया द्वारा केवल तैयार माल एवं क्रियाधीन प्रगतिशील कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(ब) हमारे विचार में सभी कार्यशील साइटों पर सत्यापन का क्षेत्र बढ़ाये हुए एवं उनका विभिन्न कार्यों के विरूद्ध दिये गये सामानों, बनाये गये मालों एवं विभिन्न कार्यों के विरूद्ध भेजे गये मालों के साथ मिलान करते हुए, कम्पनी द्वारा प्रगतिशील कार्यों एवं तैयार मालों के भौतिक सत्यापन हेतु बनाये गये तरीकों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके उपरान्त कच्चे माल, खरीदे गये मालों, भण्डार एवं अतिरिक्त सामानों का भौतिक सत्यापन इस चालू वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

(स) भौतिक सत्यापन पर कोई विसंगति नहीं पायी गई।

(iii) (अ) अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे हुए रजिस्टर के अनुसार कम्पनी ने कोई ऋण प्रतिभूति, अप्रतिभूति या किसी कम्पनी, फर्मो या दूसरी पार्टियों को न तो दिया है और न लिया है।

(ब) चूँकि कम्पनी ने काई ऋण नहीं लिया है इसलिये पैरा (iii) बी, (iii) सी और (iii) डी कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(iv) माल खरीदने और अचल सम्पत्ति तथा अन्य विक्रय माल की आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति पर्याप्त है और संस्थान के आकार तथा व्यवसाय के प्रकार के अनुकूल बनाये जाने की आवश्यकता है।

(v) (अ) हमारे विचार में एवं हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे किसी भी लेन-देन में कम्पनी शामिल नहीं है जिसको अधिनियम की धारा 301 के अनुसार किसी रजिस्टर में अंकित करने की आवश्यकता है।

(ब) "कम्पनी (लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2003" के पैरा 4 के उपखण्ड, (अ) ब में निहित प्रावधान इस कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश तथा अधिनियम की उपधारा 58ए तथा 58एए के अन्तर्गत संस्थान ने जनसाधारण से संचय के लिये कोई धनराशि स्वीकार नहीं की है अत: कम्पनी पर यह नियम लागू नहीं होता।

(vii) हमारे विचार से कम्पनी के व्यापार के क्रियाकलापों के स्वरूप एवं आकार के मद्देनजर आन्तरिक आंकेक्षण प्रक्रिया में सोच एवं निपुणता की कमी है जिसे मजबूत करने की जरूरत है।

(viii) अधिनियम की धारा 209 की धारा (डी) की उपधारा, (1)के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने खर्चों के रिकार्ड के रख-रखाव हेतु कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है।

(ix) (अ) अविवादित संवैधानिक देयतायें को जमा करने में कम्पनी नियमित नहीं है। सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन को स्पष्ट बकाये की

मात्रा जो देय तिथि से छः महीने से ज्यादा समय के लिए निम्न प्रकार है :-

लेखा का मद	रकम (लाख रू0)
बिक्री कर एवं व्यापार कर	273.30
आयकर	0.56

(ब) बिक्रीकर/आयकर/वित्त कर/उत्पाद कर/अतिरिक्त कर जो नहीं जमा किया गया जिस पर यदि कोई विवाद है, और न्यायाधिकरण जिसमें विवाद चल रहा है निम्न है:

1. **बिक्री कर एवं व्यापार कर :-**

(रू0 लाखों में)	सम्बन्धित न्यायाधिकरण
328.47	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
80.67	उ0प्र0 व्यापार कर न्यायाधिकरण, इलाहाबाद।
40.57	उप-आयुक्त (अपील) उ0प्र0 व्यापार कर, इलाहाबाद
71.97	उ0प्र0 राज्य के बाहर बिक्री कर निर्धारण के मामले।

2. **केन्द्रीय उत्पाद कर :-**

(रू0 लाखों में)	सम्बन्धित न्यायाधिकरण
3.98	आयुक्त (अपील), इलाहाबाद
6.00	आयुक्त (अपील)
8.26	सीगेट
3.11	उत्पाद कर विभाग, वाईजाग एवं चण्डीगढ़
37.60	सी0ई0एस0टी0ए0टी0

3. **सेवा कर :-**

(रू0 लाखों में)	सम्बन्धित न्यायाधिकरण
6.13	आयुक्त, तमिलनाडु

(x) कम्पनी का शुद्ध लाभ पूरी तरह से धीरे-धीरे खत्म हो गया है। कम्पनी को दोनों वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 में घाटा हुआ है।

(xi) कम्पनी भारतीय स्टेट बैंक, नैनी के साथ नगद ऋण खाता एवं शुद्ध नगद ऋण (क्लीन कैश क्रेडिट) खाता के भुगतान में उपेक्षा बरती है। उपेक्षित समय एवं रकम निम्न है:-

(रू0 लाखों में)

क्रम सं0	खाते की प्रकृति	मूलधन	ब्याज धन
1.	नगद ऋण	1412.08	शून्य
2.	शुद्ध नगद ऋण	360.00	23009.00
	योग :	1772.08	23009.00

(xii) न्यास प्रतिभूति, ऋण पत्र, अन्य प्रतिभूति के आधार पर कम्पनी ने किसी प्रकार के ऋण और अग्रिम का उत्तरदायित्व नहीं लिया है।

(xiii) "कम्पनी (लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2003" के पैरा 4 के उपखण्ड (xiii) में निहित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xiv) "कम्पनी (लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2003" के पैरा 4 के उपखण्ड (xiv) में निहित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xv) प्रबन्धन के प्रमाणित करने के अनुसार कम्पनी किसी बैंक या वित्तीय संस्था से अन्य द्वारा लिये गये ऋण के लिए कोई गारन्टी नहीं देती।

(xvi) जैसा कि प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा प्राप्त सावधि ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य में करेगी जिसके लिए कम्पनी को दिया गया था।

(xvii) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कम्पनी ने कोई अधिमान प्रतिभूति अंश जारी नहीं किया।

(xviii) "कम्पनी (लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2003" के पैरा 4 के उपखण्ड (xix) में निहित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xix) "कम्पनी (लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2003" के पैरा 4 के उपखण्ड (xx) में निहित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xx) जैसा कि प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित किया गया है, वर्ष के दौरान कम्पनी के जानकारी में या सूचना में कोई प्रपंच नहीं हुआ है।

कृते ई0 एच0 अंसारी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

स्थान : इलाहाबाद — **ई0 एच0 अंसारी**
दिनांक : 16.09.2011 — साझीदार (50869)

लेखा नीतियाँ

1. मूल्य ह्रास :

स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया गया।

- कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में उल्लिखित दरों के अनुसार उन स्थायी परिसम्पत्तियों पर जो 2.4.1987 को या उसके पश्चात् अस्तित्व में आयीं।
- कम्पनी द्वारा निर्धारित परिसम्पत्तियों के अनुमानित जीवन के अनुसार उन स्थायी परिसम्पत्तियों पर जो 1.4.1987 को या उसके पूर्व अस्तित्व में आयीं।
- परिसम्पत्तियों के प्रयोग की अवधि के अनुपात के अनुसार मूल्य ह्रास प्रभावी किया जाता है।

2. निवेश :

लम्बी अवधि हेतु निवेश को लागत पर आंका गया।

3. तालिकाओं का मूल्यांकन :

3.1 कच्चा माल, संघटक और भण्डार एवं अतिरिक्त :

कच्चा माल, क्रय किये गये उपकरण, भण्डारण एवं अतिरिक्त कल पुर्जो इत्यादि का मूल्यांकन भार औसत लागत दर पर किया जाता है।

रद्दी माल तथा अवशिष्ट, जैसे जस्ता-भस्म तथा जस्ता तलछटों को कच्चे माल की सूची में सम्मिलित किया जाता है। उनका मूल्यांकन प्राप्य मूल्य पर किया जाता है। रद्दी इस्पात के विक्रय का निरूपण अन्य राजस्व के रूप में किया जाता है तथा अनुरूपी माल की लागत को माल के उपयोग की लागत में सम्मिलित किया जाता है।

ग्राहकों के माल के अवशेषों का, जो उनके कार्यआदेशों के सम्पादन के लिये प्राप्त होता है उससे बचे उपयोग न किया गया का लेखा अलग से रखा जाता है। इन्हें कम्पनी लेखा पुस्तिकओं में नही लिया जाता है।

3.2 प्रगतिआधीन कार्य

प्रगतिआधीन कार्य का मूल्याकंन निम्न प्रकार से किया जाता है :

- प्रगतिआधीन कार्यों के लिये दिये गये इस्पात का मूल्यांकन उन कार्यादिशों के अर्न्तगत लगने वाले इस्पात को औसत भार दर पर किया जाता है, उन कार्यो का जिनकी अलग पहचान है, उसे अलग-अलग परियोजना मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- अदृश्य क्षति के लिये एक प्रतिशत की दर से तथा बचे रद्दी माल की अदृश्य क्षति के लिये संचित उत्पादन एवं उत्पन्न संचित माल के पारस्परिक प्रतिशत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तकनीकी कठिनायी के कारण रद्दी माल को कार्य आदेशों के अनुसार अलगाव एवं समायोजन नहीं किया जाता है।
- प्रत्येक अर्ध-निर्मित उत्पादित इस्पात के प्रतिशत को टन में प्रदर्शित किया जाता है जिसका मूल्यांकन लागत एवं विक्रय मूल्य में से इस्पात की लागत को घटाकर, यदि वह उसमें सम्मिलित हैं, जो कम हों उसके आधार पर किया जाता है।
- उत्पादन होने तक कार्यादेश पर हुये व्यय को वास्तविक व्यय के आधार पर दर्शाया जाता है, जिसमें पूर्व अवधि व्यय सम्मिलित है।

3.3 तैयार माल :

तैयार माल (ग्राहकों के प्रेषित माल को छोड़कर) का मूल्याकंन औसत लागत या औसत विक्रय दर में जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। निर्मित माल के भण्डार का मूल्यांकन उत्पाद शुल्क

को सम्मिलित करके किया जाता है। औसत लागत मूल्य का प्रतिकलन ब्याज तथा प्रशासनिक व्यय को पृथक करके किया जाता है।

3.4 **ग्राहकों को निर्गत माल :**

कार्यशाला से निर्गत तथा कार्यस्थलों पर निष्पादित माल जिसका कार्यादेश के प्रावधानों के अनुसार बिल नहीं बनाया जा सका, को निर्मित माल की सूची में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे माल के मूल्यांकन में उत्पाद शुल्क के भाग को सम्मिलित किया जाता है।

3.5 **राजस्व मान्यता :**

(अ) विक्रय :

1. माल के प्रेषित होने पर ही विक्रय को लेखा पुस्तकों में लिया जाता है तथा संविदा की शर्तों के अनुसार बिल प्रेषित किया जाता है।
2. कार्यस्थलों पर निष्पादित कार्यों के विक्रय को (अभिनिर्माण एवं अन्य सेवाओं को सम्मिलित करके) निष्पादित कार्य की प्रगति के आधार पर लेखा पुस्तकों में लिया जाता है तथा संविदा की शर्तो के अनुसार बिल कार्य स्थल (साइट) द्वारा प्रेषित किया जाता है।
3. संविदा की शर्तों के अनुसार ग्राहकों पर प्रस्तावित दावों को विक्रय माना जाता है।
4. विक्रय में उत्पाद शुल्क सम्मिलित किया जाता है।
5. ग्राहकों से नि:शुल्क प्राप्त माल की लागत को विक्रय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(ब) अन्य राजस्व :

रद्दी माल के विक्रय को वास्तविक विक्रय के रूप में माना जाता है।

4. **दावें :**

4.1 **संस्थान द्वारा :**

4.1.1 निर्यात प्रोत्साहन :

निर्यात एवं अन्य भौतिक प्रोत्साहनों की गणना देयता के आधार पर की जाती है ।

4.1.2 कार्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार पारिश्रमिक एवं माल में वृद्धि एवं अन्य प्राप्तियों के लिये प्रावधान बीमांकिक के आधार पर किया जाता हैं किन्तु ऐसे दावों जो संविदा के प्रावधानों पर आधारित नहीं होते, ग्राहकों द्वारा स्वीकृति विक्रय माना जाता है।

4.2 **संस्थान के विरूद्ध :**

4.2.1 निर्यात कर, केन्द्रीय उत्पाद कर, आय कर, बिक्रीकर आदि से सम्बन्धित अन्तिम कर निर्धारण के कारण होने वाली देनदारी चालू वर्ष के खाते में रखा गया है, जिसमें अन्तिम कर निर्धारण का एवं/अथवा फैसला किया गया है।

4.2.2 चालू वर्ष में आकस्मिक देनदारी की गणना की गयी है जिसमें यह स्पष्टत: मान्य है।

5. **प्रावधान :**

5.1 **सेवोपहार :**

सेवोपहार की गणना वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन बीमांकिक (एक्चुरियल) आधार पर जाती है।

5.2 **अवकाश नकदीकरण :**

अवकाश नकदीकरण की गणना वित्तीय व)र्ा के अन्तिम दिन बीमांकिक (एक्चुरियल) आधार पर की जाती है।

6. **विविध व्यय :**

(बढ़त जो बट्टे खाते में नहीं डाली गई)

6.1 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना पर किये गये खर्च जिसे सरकार से गैर योजना ऋण के रूप में दिया है, को लेखा मानक ए.एस. -26 के अनुसार समावेश किया गया है।

6.2 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता को उसी वर्ष के लिये आय एवं व्यय के रूप में लिया गया है।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुये वर्ष का तुलन पत्र

(रू0 लाखों में)

	अनुसूची		**समाप्ति वर्ष 31.03.2011**		समाप्ति वर्ष 31.03.2010
निधियों के स्रोत					
अंशधारियों की निधियॉ					
पूँजी	1.1	**2,127.00**		2,127.00	
आरक्षित एवं आधिक्य (लाभ एवं हानि का उधार शेष)	-	**(63,429.58)**	**(61,302.58)**	(58,111.34)	(55,984.34)
ऋण निधियॉ					
प्रतिभूत ऋण	2.1	**4,254.90**		4,254.90	
अप्रतिभूत ऋण	2.2	**53,134.48**	**57,389.38**	48,237.43	52,492.33
			(3,913.20)		(3,492.01)
निधियों का उपयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियॉ					
सकल ब्लाक		**1,964.76**		1,964.13	
घटित : मूल्य ह्रास		**1,667.98**		1,635.70	
शुद्ध ब्लाक	3.1	**296.78**	**296.78**	328.43	328.43
निवेश	4.1		**0.05**		0.06
चालू परिसम्पत्तियॉ सूची ऋण एवं अग्रिम					
माल सूची	5.1	**406.63**		468.81	
विविध देनदार	5.2	**1,117.60**		1,261.08	
नगदी एवं बैंक शेष	5.3	**133.42**		649.50	
ऋण एवं अग्रिम	5.4	**340.26**		318.80	
		1,997.91		2,698.19	
घटित : चालू देयतायें एवं प्रावधान					
देयतायें	6.1	**5,872.59**		6,178.51	
प्रावधान	6.2	**335.35**		340.18	
		6,207.94		6,518.69	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियॉ			**(4,210.03)**		(3,820.50)
			(3,913.20)		(3,492.01)

अनुसूचियॉ, लेखा नीतियॉ प्रासंगिक देयतायें तथा लेखा पर टिप्पणियॉ लाभ एवं हानि लेखा तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं।

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते ई0 एच0. अंसारी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(ई एच. अंसारी)
साझीदार

स्थान : इलाहाबाद
दिनांक : 16 सितम्बर 2011

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
विभागाध्यक्ष (वित्त)

(आर0 के0 श्रीवास्त)
कम्पनी सचिव प्रभारी

(देवाशीष जाना)
निदेशक

(अजय कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा :

(रू0 लाखों में)

	अनुसूची		समाप्त 31.03.2011		वर्षसमाप्त वर्ष 31.03.2010
1. आय					
विक्रय					
- अन्तर्देशीय		**64.18**		169.26	
- निर्यात		**0.00**		0.00	
- निष्पादित कार्य		**155.44**	**219.62**	164.42	333.68
(निर्माण तथा अन्य सेवाओं सहित)					
अन्य राजस्व	8.2		**42.00**		46.78
निर्मित तथा प्रक्रियाधीन कार्य व माल में					
वृद्धि (+)/(-)	8.3		**(27.32)**		(21.12)
			234.30		359.34
2. व्यय					
सामग्री की खपत	9.1		**41.98**		26.69
उपठकेदारी /श्रम ठेकेदारी पर व्यय			**10.13**		78.41
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	9.2		**486.13**		842.36
निर्माण प्रशासन विक्रय एवं वितरण पर अन्य व्यय	9.3		**219.01**		205.04
ब्याज	9.4		**4,643.41**		4,558.89
ह्रास	3.1		**32.29**		32.31
प्रावधान	9.5		**142.76**		222.44
			5,575.71		5,966.14
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)			**(5,341.41)**		(5,606.80)
पूर्व समय समायोजन (शुद्ध)	10.1		**23.22**		(15.24)
कर पूर्व लाभ/(हानि)			**(5,318.19)**		(5,622.04)
कर हेतु प्रावधान			**0.00**		0.00
अतिरिक्त लाभ कर के लिए प्रावधान कर प्रावधान			**0.00**		0.00
कर पश्चात् लाभ/हानि			**(5,318.19)**		(5,622.04)
विगत वर्ष का अग्रसारित शेष लाभ/(हानि)					
तुलन पत्र में आया लाभ/(हानि) का शेष			**(58,111.39)**		(52,489.30)
तुलन पत्र में लाभ/(हानि)			**(63,429.58)**		(58,111.34)
लाभ-हानि का शेष					

अनुसूची, लेखा नीतियॉ, आकस्मिक दायिताएं एवं लेखा पर टिप्पणियॉ लाभ एवं हानि तुलन पत्र के अभिन्न अंग है।
हमारी समसंख्यक तिथि के अधीन

कृते ई0 एच0. अंसारी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
विभागाध्यक्ष (वित्त)

(देवाशीष जाना)
निदेशक

(ई एच. अंसारी)
साझीदार

(आर0 के0 श्रीवास्त)
कम्पनी सचिव प्रभारी

(अजय कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

स्थान : इलाहाबाद
दिनांक : 16 सितम्बर 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाखों में)

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2011	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2010
परिचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
लाभ हानि लेखा के अनुसार शुद्ध लाभ	**(5,318.19)**	(5,622.04)
समायोजन हेतु :		
ह्रास	**32.29**	32.31
पूर्व समय में पीछे लिया गया ह्रास		(0.21)
प्रावधान	**142.76**	222.44
सम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ		
कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**(5,143.14)**	(5,367.50)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन :		
जोड़ा : चालू परिसम्पत्तियों में कमी स्कन्ध तालिकाए	**31.02**	20.46
विविध देनदार	**31.87**	24.37
ऋण एवं अग्रिम	**–**	980.27
चालू दायिताओं में बढ़ती	**–**	230.19
प्रावधान में बढ़ती	**–**	–
घटित : चालू परिसम्पत्तियों में बढ़ती तालिकाएं	**–**	–
विविध देनदार	**–**	–
ऋण एवं अग्रिम	**21.47**	–
प्रावधान में कमी	**4.83**	91.71
चालू दायिताओं में कमी	**305.93**	–
परिचालन गतिविधियों में नगदी उपयोग	**(5,412.48)**	(4,203.92)
निवेश गतिविधियों से (उपयोग की गयी) नगदी प्रवाह		
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय	**(0.63)**	(5.47)
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	**–**	–
निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह	**(0.63)**	(5.47)
वित्तीय गतिविधियों से (उपयोग में) नगदी प्रवाह		
अप्रतिभूत ऋणों में बढ़त	**4,897.03**	4,671.13
पूँजी में बढ़त	**–**	–
वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह	**4,897.03**	4,671.13
नगदी एवं नगदी के समतुल्य में शुद्ध नगदी बढ़त/(कमी)	**(516.08)**	461.74
नगदी एवं नगदी के समतुल्य : अथशेष	**649.50**	187.76
नगदी एवं नगदी के समतुल्य : इतिशेष	**133.42**	649.50

हमारी समसंख्यक तिथि की आख्या के अधीन
कृते ई0 एच0 अंसारी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(ई. एच. अंसारी)
साझीदार
स्थान : इलाहाबाद
दिनांक : 16 सितम्बर 2011

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
विभागाध्यक्ष (वित्त)

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
कम्पनी सचिव प्रभारी

(देवाशीष जाना)
निदेशक

(अजय कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

संतुलन पत्र की अंश बनी अनुसूचियाॅ

	समाप्ति वर्ष 31.03.2011	समाप्ति वर्ष 31.03.2010
	(₹ लाखों में)	
1.1 अंशपूॅजी		
अधिकृत		
प्रति 1000 रू0 के 2,70,000 इक्विटी अंश	**2,700.00**	2,700.00
प्रति 1000 रू0 मूल्य के 30000-11.5 प्रतिशत अधिमान अंश (असंचयी कम्पनी के विकल्प पर प्रतिदेय)	**300.00**	300.00
	3,000.00	3,000.00
निर्गमित अभिदत्त एवं प्राप्त चुकता पूॅजी :		
पूर्ण रूपेण प्रदत्त प्रति 1000 मूल्य के 182700 इक्विटी अंश (जिनमें से 2000 इक्विटी अंश 30 जून 1965 को संविदा के अनुरूप बिना नगद भुगतान प्राप्त हुये पूर्ण रूपेण प्रदत्त अंश के रूप में आवंटित किये गये)	**1,827.00**	1,827.00
1000 रू0 मूल्य के 30000-11.5 प्रतिशत अधिमान अधिमान अंश (असंचयी कम्पनी के विकल्प पर प्रतिदेय) विचाराधीन आवंटन हेतु इक्विटी	**300.00**	300.00
	2,127.00	2,127.00

संतुलन पत्र की अंश बनी अनुसूचियॉ

(रू० लाखों में)

		समाप्ति वर्ष 31.03.2011	समाप्ति वर्ष 31.03.2010
2.1	**प्रतिभूत ऋण**		
	माल सूची तथा ऋणियों को बन्धक रखकर 1000 लाख रू0 तक का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गया नकद उधार (गत वर्ष 1000 लाख रू0)	**1,772.08**	1,772.08
	भारत ओवरसीज बैंक, थाईलैण्ड से लिया गया ऋण जो अस्थाई प्रकार से मालसूची तथा ऋणियों पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई गारण्टी पर रक्षित है।	**9.55**	9.55
	उद्भूत एवं देय ब्याज	**2,473.27**	2,473.27
		4,254.90	4,254.90
2.2	**अप्रतिभूत ऋण :**		
	बीवाइएनएल के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त ऋण		
	योजना ऋण (ब्याज मुक्त)	**500.00**	500.00
	योजना ऋण	**64.50**	64.50
	गैर योजना ऋण	**16,886.85**	16,601.49
	गैर योजना ऋण (ब्याज मुक्त)	**2,445.00**	2,445.00
	उद्भूत एवं देय ब्याज	**7,922.76**	7,585.51
	दण्डनीय देय ब्याज	**25,315.37**	21,040.93
		53,134.48	48,237.43

अनुसूची 3.1 स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(रू. लाखों में)

विवरण	सकल खण्ड				अवमूल्यन				सकल खण्ड	
	जैसा कि 1 अर्प्रल 2010 को था	वर्ष में वृद्धि	वर्ष में समायोजन विक्रय	**31 मार्च 2011 तक**	जैसा कि 1 अर्प्रल 2010 को था	वर्ष में वृद्धि	वर्ष में समायोजन विक्रय	**31 मार्च 2011 तक**	**जैसा कि 31 मार्च 2011 को था**	जैसा कि 31 मार्च 2010 को था
भूमि एवं भूमि विकास	12.32	0.00	-	**12.32**	0.00	0.00	-	**0.00**	**12.32**	12.32
सड़के एवं पैदल मार्ग	6.50	0.00	-	**6.50**	5.22	0.16	-	**5.38**	**1.12**	1.28
गन्दे पानी की निकासी एवं जल आपूर्ति	9.34	0.00	-	**9.34**	7.15	0.20	-	**7.35**	**1.99**	2.19
भवन	453.86	0.00	-	**453.86**	296.56	9.45	-	**306.01**	**147.85**	157.30
रेलवे साइडिंग	21.70	0.00	-	**21.70**	20.61	0.00	-	**20.61**	**1.09**	1.09
संयत्र एवं मशीनरी	1289.86	0.49	-	**1290.35**	1150.18	20.08	-	**1170.26**	**120.09**	139.68
फर्नीचर एवं फिक्सर	21.49	0.00	-	**21.49**	18.67	0.23	-	**18.90**	**2.59**	2.82
वाहन	27.11	0.00	-	**27.11**	26.43	0.01	-	**26.44**	**0.67**	0.68
कार्यालय उपकरण	30.32	0.00	-	**30.32**	27.99	0.69	-	**28.68**	**1.64**	2.33
विद्युत उपकरण	35.02	0.13	-	**35.15**	30.60	0.67	-	**31.27**	**3.88**	4.42
विद्युत संस्थापन	41.04	0.00	-	**41.04**	38.99	0.07	-	**39.06**	**1.98**	2.05
पुस्तकालय	0.00	0.00	-	**0.00**	0.00	0.00	-	**0.00**	**0.00**	0.00
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	15.58	0.00	-	**15.58**	13.30	0.72	-	**14.02**	**1.56**	2.28
इस वर्ष	1964.14	0.62	-	**1964.76**	1635.70	32.28	-	**1667.98**	296.78	328.44
गत वर्ष	1963.68	0.66	5.68	**1958.66**	1576.09	32.96	5.45	**1603.60**	**355.06**	387.59

				(रू0 लाखों में)
		समाप्ति वर्ष		समाप्ति वर्ष
		31.03.2011		31.03.2010
4.1 निवेश				
निवेश (अनउद्धृत) लागत पर				
मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड नई दिल्ली में 38.95 रू0 प्रति मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 126 इक्विटी अंश		**0.04**		0.05
रीजेन्ट चैम्बर्स सहकारी समिति लिमिटेड मुम्बई में 50 रू0 प्रति मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 10 अंश		**0.01**		0.01
		0.05		0.06
5.1 माल सूची				
(प्रबन्धन द्वारा अपनायी, मूल्यांकित तथा प्रमाणित की गयी)				
कच्चा माल		**56.00**		60.40
खरीदा गया माल		**71.65**		71.65
भण्डारण तथा अतिरिक्त कलपुर्जे		**65.63**		64.93
प्रक्रियाधीन कार्य		**196.45**		194.83
तैयार स्कन्ध	**395.4**		6424.40	
घटाकर :				
प्राप्त अग्रिम राशि पर कन्ट्रोल (चालू दायिताओं में कन्ट्रोल)	**5.01**	**390.45***	5.01	419.39
		780.18		811.20
घटाकर : अप्रचलन के लिए प्रावधान		**373.55**		342.39
		406.63		468.81

* इस राशि में ग्राहकों को निर्मित माल का मूल्य सम्मिलित है जिसका बिल नहीं बनाया गया है।

			समाप्ति वर्ष 31.03.2011	(रू0 लाखों में) समाप्ति वर्ष 31.03.2010
5.2 **विविध ऋणी***				
6 माह से अधिक समय के बकाया ऋण			**2,490.13**	2,465.68
अन्य ऋण			**56.30**	112.62
			2,546.43	2,578.30
घटाकर : खराब तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			**1,428.83**	1,317.22
			1,117.60	1,261.08
विविध देनदारों का विवरण				
(अ) ऐसे ऋण जो अच्छे समझे गये तथा जिनके सम्बन्ध में कम्पनी पूर्ण रूप से सुरक्षित है।			**0.00**	0.00
(ब) ऐसे ऋण जो अच्छे समझे गये तथा जिनके सम्बन्ध में कम्पनी के पास देनदारों की व्यक्तिगत सुरक्षा के अलावा कोई अन्य सुरक्षा नहीं है।			**1,117.60**	1,261.08
(स) ऐसे संदिग्ध ऋण जिनके लिए कम्पनी के पास तीसरी पार्टियों की गारन्टी है।			**0.00**	0.00
(द) ऐसे ऋण जो सन्देहास्पद समझे गये तथा जिनका प्रावधान किया गया।			**1,428.83**	1,317.22
			2,546.43	2,578.30
*ऐसे ऋण जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या निजी संस्थानों से प्राप्त हुये जिनमें कोई निदेशक, भागीदार, निदेशक या सदस्य हो।			**62.78**	89.19
5.3 **नकद तथा बैंक शेष**				
नकद तथा डाक टिकट हस्तगत			**0.44**	1.10
फिक्स डिपोजिट			**0.00**	153.09
मार्गस्थ प्रेषण			**82.99**	82.81
अनुसूचित बैंकों के चालू खातों में			**48.59**	411.10
बैंक में सुरक्षित धन			**1.29**	1.29
गैर अनुसूचित बैंकों में चालू खाते :				
	अधिकतम	शेष		
	2010-2011	2009-2010		
नेशनल बैंक आफ कामर्स, दार-ए-सलाम, तनजानिया	0.05	0.05	0.05	0.06
रफीडियन बैंक, ईराक	0.06	0.06	0.06	0.06
			133.42	649.50

(रू0 लाखों में)

		समाप्ति वर्ष 31.03.2011		समाप्ति वर्ष 31.03.2010
संतुलन पत्र की अंश बनी अनुसूची				
5.4 ऋण एवं अग्रिम'				
अग्रिम धनराशियाँ				
(नकद या वस्तु रूप में अथवा प्राप्तव्य				
मूल्य पर वसूली योग्य				
बीवाईएनएल से वसूली योग्य भारत सरकार के	**0.00**		0.00	
ऋण प्रतिभूत अच्छे समझे गये।	**0.00**		0.00	
अप्रतिभूत तथा अच्छे समझे गये।	**213.68**		199.00	
संदिग्ध अथवा खराब समझे गये।	**299.63**		299.64	
		513.31		498.64
अन्य अग्रिम धनराशियाँ				
अप्रतिभूत अच्छे समझे गये।				
सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर के				
पास जमा अग्रिम धनराशि का शेष	**0.35**		0.13	
अन्य जमा	**61.36**		70.39	
फ्रिज लाभ अग्रिम कर	**0.00**		0.00	
पूर्व भुगतान किये गये व्यय	**0.00**		0.12	
दावे तथा अन्य वसूली योग्य	**64.87**		49.16	
	126.58		119.80	
संदग्धि अथवा खराब समझे गये	**22.16**	**148.74**	22.16	141.96
		662.05		640.60
घटाये : संदिग्ध ऋण तथा अग्रिम धन के लिए प्रावधान		**321.79**		321.80
		340.26		318.80
कम्पनी के निदेशकों तथा अधिकारियों से प्राप्य अग्रिम				
राशि सम्मिलित है।		**0.00**		0.00
वर्ष में किसी भी समय में बाकी अधिकतम राशि।		**0.00**		0.00

संतुलन पत्र की अंशभूति अनुसूची

(रू0 लाखों में)

			समाप्ति वर्ष		समाप्ति वर्ष
			31.03.2011		31.03.2010
6.1	**चालू देयातायें :**				
	विविध लेनदार		**2,950.60**		3,318.24
	ठेकेदारों तथा अन्य से जमा		**347.43**		346.44
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	**728.93**		675.80	
	घटाकर : प्रतिपक्षी निर्गत माल (जिसका बिल नहीं बना।)	**5.01**		5.01	
			723.92		670.79
	अन्य देयतायें :		**285.56**		308.21
	उद्भूत किन्तु ऋण पर अदेय ब्याज राष्ट्रीय		**1,540.76**		1,510.51
	नवीनीकरण निधि से प्राप्त अनुदान		**24.32**		24.32
			5,872.59		6,178.51
6.2	**प्रावधान :**				
	बोनस के लिए		**2.57**		1.85
	उपदान के लिए प्रावधान		**237.49**		247.12
	अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान		**95.29**		91.21
	फिन्ज बेनिफिट कर के लिए प्रावधान		**0.00**		0.00
			335.35		340.18

लाभ हानि लेखा के अभिन्न अंग के रूप में अनुसूचियॉ

(रू0 लाखों में)

		समाप्ति वर्ष 31.03.2011	समाप्ति वर्ष 31.03.2010
8.2	**अन्य राजस्व**		
	बैंकों से प्राप्त ब्याज	**4.65**	24.85
	अन्य से प्राप्त ब्याज	**0.00**	0.00
	अन्य से प्राप्त ब्याज	**4.84**	6.85
	रद्दी माल के निबटान से प्राप्त अधिशेष	**28.76**	6.32
	विविध आय	**0.15**	5.68
	प्राप्त किराया/भाड़ा	**3.60**	3.08
	स्थाई परिसम्पत्तियों के बेचने पर प्राप्त लाभ	**0.00**	0.00
		42.00	46.78
8.3	**प्रक्रियाधीन कार्य तथा निर्मित माल में वृद्धि/(कमी)**		
	प्रगति आधीन		
	अन्तिम शेष	**196.45**	194.83
	प्रारम्भिक शेष	**194.83**	193.58
	वृद्धि/(कमी)	**1.62**	1.25
	निर्मित माल		
	इति शेष	**131.63**	139.20
	अथ शेष	**139.20**	128.13
	वृद्धि/(कमी)	**(7.57)**	11.07
	ग्राहकों को भेजा गया निर्मित माल :		
	अन्तिम शेष	**263.83**	285.20
	प्रारम्भिक शेष	**285.20**	318.64
	शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(21.37)**	(33.44)
	शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(27.32)**	(21.12)

	समाप्ति वर्ष 31.03.2011	(रू0 लाखों में) समाप्ति वर्ष 31.03.2010
लाभ हानि लेखा के अभिन्न अंग के रूप में अनुसूचियॉ		
9.1 सामग्री'		
कच्चा माल		
अथ स्कन्ध	**60.40**	58.48
क्रय	**31.26**	21.61
ग्राहकों का माल	**0.00**	0.00
	91.66	80.09
घटाकर : अथ स्कन्ध	**56.00**	60.40
खपत	**35.66**	19.69
खरीदा गया माल		
प्रारम्भिक भण्डारण (स्टाक)	**71.65**	71.85
क्रय	**0.78**	1.01
ग्राहकों का माल	**0.00**	0.00
	–	–
	72.43	72.86
घटाकर : इति स्कन्ध	**71.65**	71.65
खपत	**0.78**	1.21
भण्डारण एवं स्पेयर्स :		
प्रारम्भिक भण्डारण	**64.93**	65.99
क्रय	**9.02**	7.00
ग्राहकों का माल	**0.00**	0.00
	73.95	72.99
घटाकर : इति स्कन्ध	**65.63**	64.93
खपत	**8.32**	8.06
कुल खपत	**44.76**	28.96
घटाकर : उपभोग किया गया माल :		
भवनों की मरम्मत में	**0.00**	0.00
संयंत्रों की मरम्मत में	**2.78**	2.27
	41.98	26.69

(रू0 लाखों में)

			समाप्ति वर्ष 31.03.2011		समाप्ति वर्ष 31.03.2010
9.2	**कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ***				
	वेतन, मजदूरी एवं भत्ते		**253.51**		273.47
	प्रतिनियुक्ति वेतन एवं भत्ते		**0.00**		0.00
	वार्षिक बोनस		**0.73**		1.95
	ग्रेच्युटी		**33.06**		52.95
	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को भुगतान :				
	पुनर्वास भत्ता	**0.14**		0.49	
	नोटिस पे	**0.58**		7.31	
	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए क्षतिपूर्ति	**126.90**	**127.62**	423.42	431.22
	निधियों में अंशदान :				
	भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन		**22.82**		24.46
	कर्मचारी राज्य बीमा		**6.70**		2.12
	डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेन्स		**1.49**		1.49
	कल्याण व्यय		**40.20**		54.70
			486.13		842.36
	*प्रबन्ध निदेशक से सम्बन्धित भुगतान भी सम्मिलित है :		**0.00**		0.00
9.3	**अन्य व्यय :**				
	(अ) विनिर्माण व्यय :				
	विद्युत तथा ईंधन		**66.56**		59.57
	उत्पादन शुल्क		**7.36**		11.83
	मरम्मत तथा अनुरक्षण :				
	संयत्र एवं मशीनरी		**3.84***		4.75*
	भवन		**0.00**		0.01*
	अन्य		**0.95**		0.77
	उपकरणों का किराया		**12.81**		14.99
	उपकरणों का परिवहन व्यय		**2.85**		0.49
	अन्य विनिर्माण व्यय		**0.00**		0.00
			94.37		92.41

*संयत्रों की मरम्मत में माल रू0 2.78 लाख (रू0 2.27 लाख 2009-2010 में) सम्मिलित है।

लाभ हानि लेखा के अभिन्न अंग के रूप में अनुसूचियॉं

(रू0 लाखों में)

		समाप्ति वर्ष 31.03.2011	समाप्ति वर्ष 31.03.2010
ब.	**प्रशासनिक व्यय**		
	किराया	**6.01**	3.40
	दर तथा कर	**3.68**	13.32
	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	**0.43**	0.43
	इन्श्योरेंस	**0.50**	0.43
	पेट्रोल, तेल तथा चिकनाई	**0.38**	0.40
	रेलवे साइडिंग व्यय	**0.00**	0.00
	बैंक प्रभार	**0.68**	0.09
	यात्रा वयय	**7.28**	8.99
	वाहन व्यय	**0.45**	0.45
	डाक, तार तथा दूरभाष	**1.15**	1.71
	छपाई तथा लेखन सामग्री	**1.62**	1.55
	विलम्ब तथा नि:शुल्क व्यय	**0.00**	0.00
	प्रबन्धकीय सेवा प्रभार (बी0वाई0एन0एल0)	**0.00**	0.01
	सुरक्षा व्यय	**75.54**	65.54
	छतिपूर्ति ब्याज एवं जुर्माना	**0.00**	0.00
	अन्य प्रशासनिक व्यय	**14.64**	9.78
		112.36	106.10
स.	**(विक्रय व्यय)**		
	मनोरंजन	**1.25**	1.31
	विज्ञापन तथा प्रचार	**1.37**	0.00
	व्यापार विकास व्यय	**1.05**	0.24
	विक्रय समवर्द्धन	**0.20**	0.44
	बिक्री कर	**8.40**	0.10
		12.27	2.09
द.	**(वितरण व्यय:)**		
	निर्गत भाड़ा	**0.01**	4.44
		0.01	4.44
	(अ+ब+स+द)	**219.01**	205.04
	(अ) लेखापरीक्षा के रूप में	**0.33**	0.33
	(ब) कर लेखा परीक्षा के रूप में	**0.10**	0.10
	(स) सेवा कर की प्रतिपूर्ति	**0.00**	0.00
	(द) व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.00**	0.00
	निदेशकों से सम्बन्धित यात्रा व्यय (प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष सहित)	**0.00**	0.00
	विदेश यात्रा पर व्यय शुन्य यात्रा के लिए (पूर्व वर्ष की शुन्य यात्रा)	**0.00**	0.00

लाभ हानि लेखा के अभिन्न अंग के रूप में अनुसूचियॉ

(रू0 लाखों में)

		समाप्ति वर्ष 31.03.2011	समाप्ति वर्ष 31.03.2010
9.4	**ब्याज**		
	भारत सरकार से प्राप्त ऋण	**4,641.93**	4,558.87
	अन्य	**1.48**	0.02
		4,643.41	4,558.89
9.5	**प्रावधान**		
	सन्देहात्मक अग्रिम	**0.00**	0.00
	अप्रचलित माल सूची	**31.16**	10.70
	संदिग्ध देनदार	**111.60**	211.74
		142.76	222.44
10.1	**पूर्व अवधि समायोजन**		
	आय :		
	विक्रय	**27.42**	(12.07)
	अन्य राजस्व	**16.29**	0.00
		43.71	(12.07)
	व्यय :		
	सामग्री	**0.00**	0.00
	उप-ठेकेदारी	**0.00**	6.33
	कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ	**0.00**	(0.30)
	अन्य खर्च	**20.49**	(2.65)
	मूल्य ह्रास	**0.00**	(0.21)
	ब्याज	**0.00**	0.00
		20.49	3.17
	शुद्ध (व्यय)/आय	**23.22**	(15.24)

प्रासंगिक देयतायें तथा लेखा पर टिप्पणियॉं	**समाप्ति वर्ष 31.03.2011 (रूपये लाखों में)**	समाप्ति वर्ष 31.03.2010 (रूपये लाखों में)
<u>ए) प्रासंगिक देयतायें:</u>		
1. संस्थान के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।		
(अ) 31.03.2011 तक भारतीय स्टेट बैंक, द्वारा नैनी द्वारा दावा किया गया ब्याज	**23009.00**	21947.00
(ब) बिक्री कर (विवादित)	**521.68**	521.68
(स) उत्पाद कर एवं सेवा कर (विवादित)	**58.95**	65.08
(द) अन्य देय (कोर्ट केसों के मद में)	**389.76**	389.76
2. अन्य राशिया जिनके लिये कम्पनी प्रासंगिक रूप से उत्तरदायी है।	**146.39**	146.39
2.1 बैंक गारण्टी के विरूद्ध जारी की गई गारण्टियॉं/काउण्टर गारण्टियॉं		

ब) लेखा पर टिप्पणियॉं :

संतुलन पत्र :

1. <u>सामान्य :</u>

वित्तीय संकट के बावजूद भी कम्पनी ने विगत तीन वर्षो से प्रगति के संकेत दिये हैं। कम्पनी के प्रबन्धन को पूर्ण विश्वास है कि कम्पनी के प्रचालन में और अधिक उन्नति आयेगी। अतएव कम्पनी का लेखा जोखा ऑन गोईग कन्सर्न के आधार पर तैयार किया गया है

2. <u>माल सूची :</u>

प्रक्रियाधीन कार्य तथा निर्मित माल की मात्राओं को अलग भौतिक अनुमान द्वारा (वित्तीय वर्ष के पष्चात्) की गई निष्पादन रिपोर्टो के आधार पर बाद में किये गये लेन-देन को समायोजित करने के पश्चात् निश्चित किया गया है। लेखा पुस्तकों के अवशेषों में होने वाली विसंगितयों के परीक्षण एवं मूल्याकंन के पूरा होने तक इन प्रत्यक्ष मात्राओं को स्वीकार कर लिया गया है।

3. <u>विविध देनदारियॉं :</u>

3.1 कम्पनी द्वारा इराक में सम्पादित की गई योजना के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा में अन्तिम भुगतान देय है। इस योजना का बकाया देय भारत सरकार और इराक सरकार के मध्य स्थगित अदायगी समझौते के अर्न्तगत है। एक्जिम बैंक और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इराक ने भी अपने लेखा पुस्तकों में 6,74,097.99 अमेरिकी डालर का क्रेडिट दिखाया है उपयुक्त देनदारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इराक द्वारा नियुक्त एक नोडल एजेन्सी उधार समाधान कार्यालय (डेब्ट रिकान्सिलेशन ऑफिस) के साथ समाधान के आधार पर है।	**291.79**	291.79

यघपि परियोजना अधिकारियों द्वारा साइट पर पड़े हुये निर्माण सामग्री और 01.04.2002 के बाद से विनिमय मूल्य के परिवर्तन का लेखा-जोखा अनन्तिम स्वीकृति प्रमाण पत्र (अनन्तिम स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है) के लम्बन पर विचार किया

	जा रहा है, यदि कोई है और 1.4.2002 के बाद रू0 63.06 लाख की वृद्वि का एक तदर्थ व्यवस्था लेखा पुस्तकों में किया गया है।		
3.2	विभिन्न देनदारियों की धनराशि में 557.35 लाख रूपये समाहित है (गत वर्ष 556.27 लाख रू0) जो ग्राहकों द्वारा माल पहुँचाने में देरी होने के कारण संविदात्मक शर्तों के अनुसार हर्जाने के रूप में तथा अन्य कारणों से रोका हुआ है, इसके अलावा रू0 314.66 लाख का प्रावधान विविध देनदारियों के विरूद्ध कुल प्रावधान में सम्मिलित किया गया है।		
4.1	मार्गस्थ स्थानान्तरण के अर्न्तगत नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया कामर्स, दार-ए-सलाम, तंजानियाँ से अमरीकी डालर में स्थानान्तरित जो 1981-82 में स्थानान्तरित की गई थी, सम्मिलित है।	**8.83**	8.83
4.2	मार्गस्थ स्थानान्तरण के अर्न्तगत वर्ष 1990-91 और 1992-93 के लिये होनैम कुण्डा और बरेली साइट को राशि स्थानान्तरित की गयी है।	**0.16**	0.16
4.3	भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग द्वारा मार्गस्थ स्थानान्तरण की मद में गैर योजना वेतन समर्थन सम्मिलित है।	**74.00**	73.82
5	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण के सम्बन्ध में हुये समझौते के अनुसार कम्पनी सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार अपनी भूमि, उत्तराधिकार में प्राप्त खाते, भवन, यन्त्र एवं अचल सम्पत्ति को भार ग्रस्त नहीं कर सकेगा स्वामित्व हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा, बन्धक नहीं रख सकेगा।	**–**	–
6.	भूमि :		
6.1	राज्य सरकार द्वारा बिना कोई मूल्य लिये दी गयी भूमि जिसकी क्षतिपूर्ति की आदयगी नहीं होनी है, के हस्तान्तरण की शर्तो को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। उक्त भूमि में से 7.38 एकड. भूमि राज्य सरकार के आदेश से स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया को 33,607/- रूपये में हस्तान्तरित कर दी गयी है। यह राशि राजकीय सार्वजनिक विभाग की सूची के अनुसार भूमि विकास का अनुपातिक व्यय प्रदर्शित करती है।		
6.2	कम्पनी ने त्रिवेणी इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड से क्रय की गयी भूमि के सम्बन्ध में 10,789.00 रूपये का भुगतान कर दिया है। इस भूमि में से राज्य सरकार की आज्ञानुसार 1.62 एकड. भूमि स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को 5,742.00 रू0 में जो भूमि विकास की अनुपातिक लागत है, हस्तान्तरित कर दी गयी है। शेष राशि के 5,047.00 रू0 को तुलन पत्र में ऋण एवं अग्रिम धनराषि के शीर्ष में दर्शाया गया हैं।		

6.3 उत्तर प्रदेश सरकार से संयन्त्र के समीप टाउनशीप हेतु प्राप्त भूमि के लिये क्षतिपूरक राशि का निर्धारण नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में संस्थान द्वारा उक्त सरकार को 2 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है जिसको संतुलन पत्र में "ऋण एवं अग्रिम धनराशि" के शीर्ष में सम्मिलित किया गया है।

6.4 उपरोक्त भूमि को कम्पनी के पक्ष में हस्तान्तरित करने के लिए हस्तान्तरण पत्र अभिलेख का अभी निष्पादन नहीं हुआ है।

6.5 उपरोक्त भूमि के पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क की देयता के लिये, जिसको अभी निश्चित करना सम्भव नहीं है, प्रावधान नहीं किया गया है।

7. <u>चालू, सम्पत्तियाँ एवं चालू देनदारिया:</u>

7.1 चालू देयतायें, विविध देनदारियां ऋण एवं अग्रिम धनराशियाँ तथा विदेशी बैंकों में अवशेषों एवं गमनागमन में प्रेषित धन, यदि कुछ हैं, की पुष्टि तथा उनका परिणामिक समायोजन अभी होना शेष है।

7.2 आपूर्तिकर्ताओं, उप ठेकेदारों तथा अन्य पक्षों को दी गयी अन्तिम धनराषि का ''विविध लेनदारी'' के शीर्ष में दर्शायी गयी अनुरूपी देयता, यदि कुछ है, से मिलान परिणामिक समायोजन करना अभी लम्बित है।

7.3 देनदारियों में 2148.73 लाख रूपये की राशि सम्मिलित है जो तीन वर्ष से अधिक समय से देय हैं इसके स्थान पर 1428.83 लाख रूपये का किया गया प्रावधान अस्तित्व में है।

7.4 रू0 780.19 लाख मूल्य की मालसूची में रू0 604.68 लाख की कुल राशि सम्मिलित है, जिसमें रू0 394.93 लाख मूल्य का निर्मित माल, रू0 37.89 लाख का प्रक्रियाधीन कार्य, रू0 49.76 लाख मूल्य का कच्चा माल, रू0 70.93 लाख मूल्य का खरीदा गया माल रू0 51.17 लाख मूल्य के भण्डार एवं अतिरिक्त कलपुर्जे जो तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़ा है तथा जिसके लिए रू0 373.55 लाख का प्रावधान किया गया है।

8. विस्तृत अनुसूचियों के मिलान तथा उनको तैयार करने के कार्य के लम्बित रहते, विविध वसूलियों तथा मजदूरी एवं वेतन भुगतानों एवं भविष्य निधि/साइटों पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पेंशन और लिये गये ऋण वसूली के सम्बन्ध में सामान्य खाते के अवशेषों को लिया गया है।

9. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा, माइक्रो स्याल एण्ड मीडिया इन्टरप्राइज डेवलपमेण्ट अधिनियम 2006 के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन नहीं जमा किया गया है इस प्रकार के इण्टरप्राइजेज की घोषणा अधिसूचना

संख्या GSR719(E) दिनॉक 16.11.07 में नहीं की गई है।

10. अलग-अलग खातों में ऋणियों तथा देनदारों को अलग-अलग सम्पत्तियों एवं देनदारियों के शेषों में समूह बद्ध किया गया है।

लाभ और हानि खाता :

11. भारतीय स्टेट बैंक, नैनी, इलाहाबाद द्वारा कैश क्रेडिट खाते पर रू0 254.82 करोड़ (मूलधन 17.72 करोड़, ब्याज रू0 254.82 करोड़ और बैंक गारण्टरी रू0 1.46 करोड़) जो 31.03.2011 को बाकी था के विरूद्ध अनुबन्धित शर्तो के अनुसार दिनांक 31.03. 2011 तक रू0 274.00 करोड़ का ब्याज जोड़ा है, रू0 42.45 करोड़ (मूलधन 17.72 करोड़ मूलधन पर. 24.73 ब्याज) को 31.03.2011 तक पहले ही खाते में ले लिया है। वन टाइम सेटेलमेन्ट (ओ0टी0एस0) प्रस्ताव के विचाराधीन होने के बाद बाकी के रू0 231.55 करोड़ की राशि को अब संदिग्ध ऋण के रूप में दर्शाया गया है। (ब्याज रू0 230.09 करोड़ तथा वापस नहीं किये गये बैंक गारण्टी रू0 1.46 करोड़)

12. बी0आई0एफ0आर0 के अनुमोदित पैकेज के अनुसार 70 लाख रूपये का दण्डीय ब्याज जो कि मार्च 1994 तक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा हमारे केश क्रेडिट लेखा मे दर्शाया गया था, को वर्ष 1994-95 में हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नैनी द्वारा अपने लेखा में अभी तक इस राशि का कोई समायोजन नहीं किया।

13. वर्ष 2003 मार्च एस0बी0आई0 के पक्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 30.00 करोड़ रूपये की काउण्टर गारण्टी (योजना निधि आधारित 10 करोड़ रूपये और योजना रहित निधि आधारित 10.0 करोड़ रूपये 31.03.2003 तक तथा 1.2.2002 से 31.3.2003 तक कार्यशील पूंजी के लिए अतिरिक्त निधि आधारित निधि 10.0 करोड़ रूपये) को एस0बी0आई0 द्वारा मार्च 2003 को खत्म कर दिया है। आगे भारत सरकार ने काउण्टर गारण्टी का विस्तार नहीं किया। वर्ष 31.03.2011 तक के हमारे लेखा खाते में एस0बी0आई0 द्वारा काउण्टर गारण्टी के खत्म करने के प्रभाव को नहीं लिया गया है।

14.1 जनवरी/फरवरी,1992 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण के कारण बकाया 455.01 लाख (पिछले वर्ष का रू0 455.01 लाख) का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

14.2 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के टारमिनल बेनेफिट जैसे कि ग्रेच्युटी, अनुग्रहराशि कुल रू0 174.48 लाख, जो कि जनवरी/फरवरी 1992 से मजदूरी/वेतन पुनरीक्षण से उत्पन्न था उसको लेखा किताबों में नही लिया गया है उपरोक्त टिप्पणी

सांविधिक संपरीक्षकों की सलाह पर जोड़ा गया है।

15. खर्च की बकाया देनदारी रूपया 104.45 लाख, इराक जॉब को भुगतान योग्य है खर्च की बकाया देयता के रूप में सम्मिलित है के परिवर्तन में दिनांक 31.03.2002 को विनिमय दर पर विचार किया गया ।

16. कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के कर्मचारी भविष्य निधि योजना में कोई यदि कोई है,को योजना को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण 2010-11 के वित्तीय वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

17. कम्पनी परिसर के अन्दर बचे हुये टुकड़ो जिसमें नि:शुल्क निर्गत माल से उत्पादित टुकड़े जो ग्राहकों को वापस नहीं किया गया सम्मिलित है को वर्ष के दौरान प्रबन्धन के विशेष मितव्ययी प्रेरणा के तहत इकट्ठा किया है और उपभोग की साख को बढ़ाया गया है ।

18. कम्पनी की नीतियों के अनुसार ग्राहकों से नि:शुल्क प्राप्त माल जिसमें खपत योग्य माल भी सम्मिलित है को लेखा में अलग से दर्शाया जाता है। विभिन्न पार्टियों से प्राप्त अथवा उनको निर्गत नि:शुल्क माल के मूल्य का विवरण प्रत्येक पार्टी के नाम से भण्डार खाते में रखा जाता है। कार्य पूरा होने पर पार्टी के लेखा का निस्तारण माल में कमी/बढ़ोत्तरी को प्रभावी करके किया जाता है। इस प्रणाली को कम्पनी द्वारा कई वर्षों से लगातार अपनाया जा रहा है।

19.1 वार्षिक लेखा प्रभावी लेखा मानक का, ए0एस0-11 (विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभावों के लेखा से सम्बन्धित), ए0एस0-17 (वृत्त खण्ड सूचना), ए0एस0-18 (जनसाधरण जानकारी), और ए0एस0-28 (सम्पत्तियों के नुकसान) को छोड़कर बनाया गया है।

19.2 लेखा नीतियों का चयन एवं इनके आवेदन, न्याय संगत एवं अनुमान वस्तुत: ठीक तथा सविवेक है ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त एवं उक्त समय में कम्पनी के लाभ-हानि खाते से कम्पनी के स्थिति कि सम्बन्ध में सत्य एवं साफ सुधरा दृष्य दे सकें ।

19.3 कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अर्न्तगत कम्पनी के लेखा अभिलेखो के ठीक से रख-रखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त साधन किया जाये ताकि कम्पनी की सम्पत्ति सुरक्षित रहें एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं से बच जा सके।

20. जहॉ पिछले वर्ष का वर्गीकरण लागू हो वहॉ इस वर्ष पुन: वर्गीकरण समूह द्वारा तुलनात्मक राशियॉ बना दी गयी है।

लाभ एवं हानि की अंश बनी टिप्पणियॉ

1. कच्चे मालकी खपत, खरीदे गये आइटम एवं भण्डारण एवं स्पेयर्स

	समाप्ति वर्ष 31.03.2011		समाप्ति वर्ष 31.03.2010	
	गुणवत्ता	मूल्य	गुणवत्ता	मूल्य
	एम टी	रू0 लाखो में	एम टी	रू0 लाखो में
टी0एस0एल0				
स्टील	79	35.66	61	19.69
स्क्रैप				
ग्राहक				
नि:शुल्क जारी आपूर्ति	–	–	105	–
वसूली आधार पर आपूर्ति	–	–	–	–
खरीदे गये आइटम	–	0.78	–	1.21
भण्डारण एवं फुटकर पुर्जे	–	8.32	–	5.79
		44.76		26.69

2. कामकाज

	समाप्ति वर्ष 31.03.2011		समाप्ति वर्ष 31.03.2010 (रू0 लाखों में)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	एम टी	रू0	एम टी	रू0
भवन संरचना	0	0.00	181	128.62
पुलों की हाइड्रोलिक संरचना एवं गेट	0	0.00	0	0.00
विविध	98	64.18	15	40.64
किया गया कार्य (अन्य सेवाए)		155.44		164.42
	98	219.62	196	333.68

3. **आयात, विदेशी मुद्रा में आय/विनिमय एवं खपत के बारे में सूचना**

(रू0 लाखों में)

		समाप्ति वर्ष		समाप्ति वर्ष
		31.03.2011		31.03.2010
आयात माल का ढुलाई बीमा भाड़ा मूल्य		**00**		00
		0.00		0.00
रायल्टी की मद में विदेशी मुद्रा में व्यय पेशेवराना परामर्शक शुल्क				
ब्याज एवं अन्य मामले (नगदी आधार पर)		**शून्य**		शून्य
कच्चे माल की खपत, खरीदे गये आइटम, भण्डारण एवं अतिरिक्त पुर्जे				
आयातित	**शून्य**	**शून्य**	शून्य	शून्य
स्वदेशी	**44.76**	**100%**	26.69	100%
	44.76	**100%**	26.69	100%
विदेशी मुद्रा में आय		**शून्य**		शून्य

4. अनुज्ञापित क्षमताए स्थापित क्षमताए उत्पादन एवं स्कन्ध

	इकाई	अनुज्ञापित क्षमता	स्थापित क्षमता	उत्पादन	अथ तैयार स्कन्ध	इति तैयार कन्ध
भवन संरचना एवं पुल	एम टी	–	**13600**	–	–	–
			(13600)	(110)	(71)	–
टावर	एम टी	**27000***	**6500**	–	148	130
		(27000)	(6500)	–	(148)	(148)
पाइप एवं पेन स्टाक	एम टी	–	**800**	–	–	–
			(800)	–	–	–
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर	एम टी	–	**800**	–	9	9
			(800)	–	(9)	(9)
प्रेसर वेसिल एवं	एम टी	**1000****	**800**	–	20	20
स्टोरेज टेंक		(1000)	(800)	–	(20)	(20)
क्रेन अभियान्त्रिक	एम टी	**1000**	–	–	–	–
उपकरण		(1000)	–	–	–	–
क्रूसिबुल ब्लास्ट फरनेस	एम टी	**2000**	–	–	–	–
एवं प्लेट वर्क्स		(2000)	–	–	–	–
विविध	एम टी	–	400	66	248	250
			(400)	(43)	(220)	(248)
		31000	**22900**	**66**	**425**	**409**
		(31000)	(22900)	(153)	(468)	(425)

* 10000 टन टीवी ट्रान्समिशन लाइन टावर

** केवल प्रेसर वेसल के लिए

*** उप ठेकेदारों द्वारा निर्मित मात्रा सहित

कोष्ठक में दी संख्याए विगत वर्ष से सम्बन्धित है।

हमारी समसंख्यक तिथि की आख्या के अधीन
कृते ई0 एच0 अंसारी
एवं कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
विभागयाध्यक्ष (वित्त)

(देवाशीष जाना)
निदेशक

(ई0 एच0 अंसारी)
साझीदार

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
प्रभारी कम्पनी सचिव

(अजय कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

स्थान : इलाहाबाद
दिनांक : 16.09.2011

सोसल ओवर हैड

सामाजिक व्यय (राजस्व)		**समाप्ति वर्ष 31.03.2011**		**समाप्ति वर्ष 31.03.2010** (रू0 लाखों में)
टाउनशिप				
ह्रस	**1.34**		1.30	
ब्याज	**–**		–	
		1.34	–	1.30
शिक्षा सुविधाएं		**0.35**		0.44
चिकित्सा सुविधाए		**8.86**		16.18
परिवहन सुविधाए		**–**		–
कैन्टीन सुविधाए		**1.86**		2.16
अवकाश यात्रा सहायता		–		–
कर्मचारियों को अन्य हितलाभ		**2.36**		2.09
		14.77		22.17

सोसल ओवर हैड (पूँजी)

	सकल खण्ड 31.3.2011 को	**मूल्य ह्रास 31.3.2011 तक**	सकल खण्ड 31.3.2010	मूल्य ह्रास 31.3.2010 तक (रू0 लाखों में)
टाउनशिप	**82.30**	**31.09**	83.60	29.79
	82.30	**31.09**	83.60	29.79

हमारी समसंख्यक तिथि की आख्या के अधीन
कृते ई0 एच0 अंसारी
एवं कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
विभागयाध्यक्ष (वित्त)

(देवाशीष जाना)
निदेशक

(ई0 एच0 अंसारी)
साझीदार

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
प्रभारी कम्पनी सचिव

(अजय कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

स्थान : इलाहाबाद
दिनांक : 16.09.2011

दस वर्षों का संक्षिप्त सारांश

(रू0 लाखों में)

क्रम	विवरण	2010–11	2009–10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
1.	उत्पादन का मूल्य	192	313	430	599	374	60	42	30	516	2458
2.	विक्रय	220	334	520	477	363	62	122	84	663	2630
3.	विक्रय की लागत	5580	5981	5128	5678	5059	4950	5196	7508	3161	3383
4.	ह्रास और ब्याज के पूर्व सकल लाभ	–643	–1031	–419	–1092	–587	–1421	– 2115	–4722	–1633	–530
5.	ह्रास	32	32	33	33	34	45	45	45	46	47
6.	ह्रास पश्चात् तथा ब्याज के पूर्व सकल लाभ	–675	–1063	–452	–1125	–621	–1466	–2160	–4767	–1679	–578
7	ब्याज : (अ) सरकारी	4642	4559	4245	3954	4057	3411	2860	2546	654	556
	(ब) अन्य	1	0	0	0	7	13	134	165	293	90
8.	कर के पूर्व लाभ	–5318	–5622	–4697	–5079	–4685	–4890	–5154	–7478	–2626	–1223
9.	कर के लिये प्रावधान (एफ0बी0टी0)	0	0	1	1	1	1	–	–	–	–
10.	कर के पश्चात् लाभ	–5318	–5622	–4698	–5080	–4686	–4891	–5154	–7478	–2626	–1223
11.	सकल ब्लाक	1965	1964	1959	1964	1980	2015	2014	2014	2019	2012
12.	निवल ब्लाक	297	328	355	388	421	386	430	475	520	563
13.	कार्यशील पूँजी	–4210	–3820	–2896	–3704	–4003	–3642	–2575	–3454	–2424	–1616
14.	दीर्घकालीन अवधि के लिये ऋण	53134	48237	43566	38093	32747	28413	24922	19722	13315	10602
15.	नगदी जमा सहित अल्प अवधि ऋण	4255	4255	4255	4255	4255	4255	4255	4255	4242	4246
16.	अंश पूँजी	2127	2127	2127	2127	2127	2102	2102	2102	2102	2102
17.	आरक्षित एवं आधिक्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	लगाई गई पूँजी	–3913	–3492	–2541	–3316	–3582	–3256	–2145	–2979	–1904	–1053
19.	नेट वर्थ	–61303	–55984	–50362	–45664	–40585	–35924	–31322	–26956	–19461	–15775
20.	मूल्य योग	182	125	170	243	197	33	3	–28	67	1212
21.	मजदूरी एवं हित लाभ	486	842	533	1221	646	868	2036	1704	1349	1750
22.	प्रति कर्मचारी जोड़ा गया कुल सम्मिलित मूल्य	1.36	0.88	0.9	1.20	0.64	0	0	0	0	2
23.	सरकारी राजकोष में कम्पनी का योगदान	56	43	58	59	12	4	59	38	95	199
24.	आन्तरिक स्रोत से उत्पत्ति	–5286	–5590	–4665	–5047	–4652	–4846	–5109	–7433	–2580	–1176
25.	निर्यात जिसमें माल लिया गया निर्यात भी शामिल है।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	कर्मचारियों की संख्या	133	142	189	203	308	311	320	418	538	774
27.	मजदूरी के प्रत्येक रू0 में जोड़ा गया सम्मिलित मूल्य	0.37	0.15	0.32	0.20	0.30	0.04	0.00	–0.16	0.05	0.69
28.	विक्रय से शुद्ध लाभ	–24.17	–16.83	–9.03	–10.64	–12.90	–78.71	–42.16	–88.72	–3.96	–0.47
29.	नेटवर्थ में निवल लाभ	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–
30.	विक्रय से वेतन मजदूरी	2.20	2.52	1.02	2.56	1.78	13.97	16.65	20.21	2.04	0.67
31.	उत्पादन मूल्य में सामग्री खपत	0.22	8.61	0.26	0.26	0.09	0.20	0.54	1.77	0.56	0.17
32.	उत्पादन दिनों की तालिका	783	547	424	367	499	3047	5510	8905	576	188
33.	काम-काज के दिनों की संख्या में विविध देनदार	1863	1378	1051	1117	1461	8075	4517	6786	909	141
34.	लगाई गई पूँजी का सकल प्रतिशत लाभ	0	0	0	0	0	0	0	0	86	50